हमेशा हमेशा के लिए पाबन्द करने के आदेश जारी किये हैं। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली द्वारा प्रकरण संख्या 24/2018 ब उनवानी विनोद कुमार आदि बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कोटपूतली व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 14/12/2018 में भी आराजी हाल खसरा नम्बर 1779 में से 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि कम करके प्रार्थीगण/अपीलान्ट्स की कदीम से कब्जा काश्त एवं खातेदारी की भूमि हाल खसरा नम्बर 1781, 1783 लगायत 1788 व 1783/1257 कुल किता 8 रकबा 3.91 हैक्टर के रकबे में सम्मिलित करने तथा 0.04 हैक्टर भूमि उक्त खसरा नम्बर 1779 के रकबा में से कम करके हाल खसरा नम्बर 1786/0.87 हैक्टर के रकबे में सम्मिलित करके राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती कर प्रार्थीगण/अपीलान्ट के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड कियेजाने के आदेश प्रदान किये गये है। इस प्रकार मौके पर अपीलान्ट्स का कदीम से अपने बुजुर्गों के समय से भौतिक रूप से कब्जा होना जाहिर होता है। हस्तगत मामले में प्रार्थीगण/अपीलान्ट्स की ओर से प्रस्तुत किये गये प्रार्थना–पत्र पर ग्राम पंचायत पावटा की बैठक दिनांक 20/8/2014 के प्रस्ताव संख्या 3 में पंचायत कोरम में प्रार्थीगण/अपीलान्ट्स का आबादी की भूमि में मान्य सिविल न्यायालय के द्वारा भौतिक रूप से कब्जा मानने के आधार पर अनापत्ति प्रमाण–पत्र शुल्क व विकास शुल्क जमा करवाने पर अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किये जाने का निर्णय लिया गया तथा प्रार्थीगण/अपीलान्ट्स के द्वारा निर्धारित राशि पंचायत कोष में जमा करवाने के पश्चात् अनापत्ति प्रमाण–पत्र क्रमांक 143 दिनांक 15/9/2014 जारी किया गया, जिसके विरूद्व पंचायत समिति पावटा में अपील संख्या 1/2015 ब उनवानी कृष्ण कुमार आदि बनाम ग्राम पंचायत पावटा व अन्य अपीलार्थीगण कृष्ण कुमार वगैरह की ओर से ग्राम पावटा के समाजिक कार्यकर्ता होने तथा जनहित में कार्य करने की हैशियत से प्रस्तुत की गयी, जिससे उक्त अपील बतौर जनहित याचिका के रूप में प्रस्तुत की जाना प्रतीत होती है ओर जनहित याचिका में सुनवायी एवं तैय करने का क्षेत्राधिकार माननीय सिविल न्यायालय में निहित है।

10. अपीलान्ट ने उक्त अपील पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 61 के अन्तर्गत पेश किये जाने का उल्लेख किया है, किन्तु उक्त धारा में व्यथित पक्षकार केद्वारा अपने हितों की रक्षार्थ एवं अपने हक हकूकों के निर्धारण के लिए अपील प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है, लेकिन प्रश्नगत प्रकरण में उक्त अपीलार्थीगण कृष्ण कुमार आदि ने विवादित भूमि में अपने हित निहित होने तथा ग्राम पंचायत पावटा के द्वारा जारी उक्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र क्रमांक 143 दिनांक 15/9/2014 से उनके हितों के प्रभावित होने के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया है एवं ना ही बिनाये अपील पैदा होने के सम्बन्ध में कोई तथ्य अंकित नहीं किये गये है। अर्थात अपीलार्थीगण कृष्ण कुमार वगैरह की प्रकरण के सम्बन्ध में लोक्स स्टैन्डाई नहीं बनती है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय पंचायत समिति पावटा द्वारा गैर व्यथित पक्षकारों समाजिक कार्यकत्ताओं के द्वारा जनहित कार्य करने वाले अपीलान्ट्स की ओर से प्रस्तुत की गयी अपील अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर स्वीकार कर आक्षेपित निर्णय पारित किये जाने में क्षेत्राधिकार सम्बन्धी भारी त्रुटि कारित की है। इसलिए आक्षेपित निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।
11. उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप निगरानीकर्त्ताओं की प्रश्नगत निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय पंचायत समिति पावटा द्वारा अपील संख्या 1/2015 ब उनवानी कृष्ण कुमार आदि बनाम ग्राम पंचायत पावटा व अन्य में पारित किया गया प्रस्ताव संख्या 04 दिनांक 21/6/2016 एवं आक्षेपित निर्णय दिनांक 22/6/2016 अपास्त किया जाता है।
12. यह निर्णय आज दिनांक 6.2.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

सत्य प्रतिलिपि

अति० जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

कोटपूतली (जयपुर)